रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India असाधारंण EXTRAORDINARY भाग III---खण्ड 4 PART III---Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ. 147] No. 147] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2009/आवण 29, 1931 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2009/SRAVANA 29, 1931

रत के राजपत्र

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2009

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2009

(2009 का सं. 5)

सं. एल-3 (2)/विनियम-साधारण (संशो)/2009-10/सीसीआई.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) को धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—



1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 49 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---

''(1)किसी व्यक्ति से अधिनियम को धारा 19 को उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन प्राप्त प्रत्येक सूचना के साथ निम्नलिखित के अनुसार फीस संदत्त किए जाने का सबूत संलग्न होगा,—

(क) किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (एचयूएफ), या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), या उपभोक्ता संगम या सहकारी सोसाइटी या न्यास की दशा में 5000 (पांच हजार) रुपए,

(ख) ऐसी फर्म या कंपनी की दशा में, जिनकी आवर्त पूर्ववर्ती वर्ष में एक करोड़ रूपए तक की थी, 20,000 (बीस हजार) रुपए, या

(ग) खंड (क) या (ख) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में 50,000 (पचास हजार) रुपए।"।

एस. एल. बंकर, सचिव [विज्ञापन III/4/187-एम/09- असा.] टिष्पण :--भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख

22 मई, 2009 में प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2009

The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2009

(No. 5 of 2009)

No. L-3(2)/Regin-Gen. (Amdt)/2009-10/CCI.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following amendments in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, namely :—

1.(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 49, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :---

"(1) Each information received under clause (a) of sub-section (1) of section 19 of the Act from any person shall be accompanied by proof of having paid the fee as under,—

(a) rupees 5000 (five thousand) in case of individual or Hindu Undivided Family (HUF), or Non Government Organisation (NGO), or Consumer Association, or a Co-operative Society, or Trust, or

(b) rupees 20,000 (twenty thousand) in case of firm or company having turnover in the preceding year upto rupees one crore, or

(c) rupees 50,000 (fifty thousand) in the cases not covered under clause (a) or (b).".

S. L. BUNKER, Secy.

[PART III-SEC. 4]

[ADVT III/4/187-M/09-Exty.]

Note: — The Competition Commission of India (General) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 22nd May, 2009.

 $\mathbf{2}$